



2026:AHC:42045-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 3577/2026

बजीरुद्दीन @ सज्जु एवं एक अन्ययाचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता (अधिवक्ता): प्रभात कुमार सिंह, रजत सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता (अधिवक्ता): जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता (अधिवक्ता), राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. कुछ तर्कों के बाद, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता (अधिवक्ता) ने बार में यह बयान दिया है कि वह इस स्तर पर इस रिट याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका इस स्तर पर वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

24 फरवरी, 2026

के.एस.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।